संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन / U.T. Administration of Daman & Diu
राजभाषा विभाग, दमण / Official Language Department, Daman

संख्या.रा.भा. 7(10)/ नराकास-बैठक/2013-17/ 84/115 FD   दिनांक : 22/09/0217

का र्य वृ त्त / MINUTES

विशेष सचिव (राजभाषा), दमण एवं दीव की अध्यक्षता में दिनांक **04/09/2017** को अपराह्न 03:00 बजे सचिवालय सभागार, मोटी दमण में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दमण की संयुक्त रूप से 31वीं बैठक का आयोजन हुआ ।

मद सं.-1. हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा में भाग लेने से संबंधी :

अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी गई कि इस वर्ष दिनांक 14/09/2017 को हिन्दी दिवस एवं संयुक्त हिन्दी पखवाड़ा का शुभारंभ एवं दिनांक 29/9/2017 को हिन्दी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह मनाये जाने का निर्णय लिया है ।

लिया गया निर्णय : अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संयुक्त हिन्दी पखवाड़ा के दौरान आयोजित की जाने वाली हिन्दी प्रतियोगिताओं में प्रशासन के सभी अधिकारी यथासंभव स्वयं भी हिस्सा लें और अपने कार्यालय से कम से कम दो कर्मचारियों को हिन्दी पखवाड़ा में भाग लेने के लिए निर्देश दें ।

(कार्रवाई : संबंधित विभाग)

मद सं.-2. कार्यालयों द्वारा हिन्दी में 90 % से अधिक पत्राचार किये जाने के बारे में :

अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी गई कि दमण एवं दीव 'ख' क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस संघ प्रदेश से दूसरे कार्यालयों के साथ नियमानुसार हिन्दी में मूल रूप से 90% पत्राचार किया जाना अपेक्षित है । फिर भी कुछ कार्यालयों द्वारा इस दिशा में अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है ।

लिया गया निर्णय : अध्यक्ष महोदय ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित 90 % के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभागों को प्रयास करने चाहिए । उन्होंने सभी कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस दिशा में अपेक्षित ध्यान दें ।

(कार्रवाई : संबंधित विभाग)

मद सं.-3. राजभाषा अधिनियम की धारा-3(3) के अनुपालन के बारे में

अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा-3(3) के अंतर्गत निर्धारित दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में ही जारी किया जाना अपेक्षित है । चर्चा के बाद सभी सदस्य अधिकारियों को राजभाषा अधिनियम की धारा-(3) के अन्तर्गत आनेवाले निम्नलिखित कागजातों के बारे में जानकारी दी गई ।

1. सामान्य आदेश/General Orders
2. परिपत्र /Circular
3. ज्ञापन /Memorandum
4. संकल्प / Resolution
5 अधिसूचना / Notification
6. सूचना / Notice
7. नियम / Rules
8. करार / Agreement
9. संविदा / Contract
10. प्रेस विज्ञप्ति / Press communiqué
11. अनुज्ञापत्र / License
12. निविदा / Tender
13. निविदा प्रपत्र /Tender Form
14. संसदीय रिपोर्ट / Parliamentary Report
15 संसदीय प्रश्न / Parliamentary Question

लिया गया निर्णय : उपस्थित अधिकारियों को सूचित किया गया कि वे राजभाषा अधिनियम का समुचित अनुपालन करेंगे एवं भविष्य में इसके उल्लंघन से बचेंगे ।

(कार्रवाई : संबंधित कार्यालय अध्यक्ष)

मद सं.-4. **<u>फाइलों पर 50% टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखे जाने के बारे में ।</u>**

अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाया गया कि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यालयों में हिन्दी में 50% टिप्पणियाँ लिखी जानी चाहिए ।

<u>लिया गया निर्णय :</u> जिन कार्यालयों द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखी गई, उन्हें अध्यक्ष महोदय ने अनिवार्य रूप से हिन्दी में 50% टिप्पणियाँ लिखने का निर्देश दिया और आवश्यक होने पर इस संबंध में राजभाषा विभाग की सहायता लेने को कहा ।

(कार्रवाई : संबंधित कार्यालय अध्यक्ष)

मद सं.-5. **<u>राजभाषा दमणगंगा के 15वें अंक के लिए लेख भेजने हेतु ।</u>**

अध्यक्ष महोदय को जानकारी दी गई कि इस वर्ष राजभाषा दमणगंगा के 15वें अंक प्रकाशित हो रहे उसमें मूल लेख, काव्य रचना राजभाषा विभाग में भेजने संबंधी अनुरोध किया ।

<u>लिया गया निर्णय :</u> अध्यक्ष महोदय ने कहा सभी कार्यालय/विभाग के कार्यालयाध्यक्ष एवं कर्मचारियों को राजभाषा दमणगंगा के 15वें अंक में प्रकाशन हेतु कम से कम एक स्तरीय मूल लेख, काव्य रचना या विभागीय उपलब्धियों से संबंधित लेख राजभाषा विभाग में भेजने के निर्देश दिया ।

(कार्रवाई : संबंधित कार्यालय एवं राजभाषा विभाग)

मद सं.-6. **<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य सुझाव :</u>**

बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई एवं अध्यक्ष महोदय ने निम्नप्रकार निर्णय दिया : -

1. कंप्यूटर पर हिन्दी में प्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में किये जा रहे कार्यो का प्रतिशत बढ़ाया जायगा और कार्यालयों कंप्यूटरों पर राजभाषा विभाग की सहायता से हिन्दी सॉफ्टवेयर यूनिकोड इस्टोल कराया जाएगा ।
2. कार्यालय के नेमी पत्रों, आवरण पत्रों आदि को अनिवार्य रूप से हिन्दी में प्रयोग में लाया जायेगा ।
3. विभाग की फाइलों और रबड़ मुहरों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी में प्रयोग में लाया जायेगा ।
4. राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी कार्यशाला का आयोजन कर कर्मचारियों को तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्ट में विवरण सही तरीके से भरने की जानकारी दी जायेगी ।
5. कार्यालय अध्यक्ष फाइलों पर हिन्दी में टिप्पणियाँ लिखने और पत्रों पर हिन्दी में हस्ताक्षर करने के बारे में सुनिश्चित करेंगे ।

(कार्रवाई : सभी कार्यालय अध्यक्ष / राजभाषा विभाग)

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया ।

इसे डायरी संख्या 252278, दिनांक 19/08/2017 के तहत विशेष सचिव (राजभाष), दमण के अनुमोदन पर जारी किया जाता है ।

(डॉ. अनिल कौशिक)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
दमण

सेवा में,

सभी कार्यालयाध्यक्ष एवं
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य, दमण ।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ :

1. प्रशासक के निजी सलाहकार, सचिवालय, दमण ।
2. वित्त सचिव एवं सचिव (राजभाषा) सचिवालय, दमण ।
3. समाहर्ता की वैयक्तिक सहायक, समाहर्तालय, दमण ।
4. उप-निदेशक (कार्यान्वयन) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), केन्द्रीय सदन, छठा तल, कमरा संख्या-601, सेक्टर-10, बेलापुर, नवी मुंबई-400 614 ।
5. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, सचिवालय, दमण को इसे प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु अनुरोध सहित ।
6. कार्यालय प्रति ।